न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

मिसल संख्या 277 / 14 तारीख रजू–10 / 10 / 14

...लाल पुत्र सोराम जाति कीर निवासी रायपुरा तहसील चौथ का बरवाडा। ------ अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार,चौथ का बरवाडा। ------ रेस्पो0

निर्णय **दिनांक–04 / 06 / 15**

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,चौथ का बरवाडा द्वारा मिसल संख्या 981 / 09 मे पारित आदेश दिनांक .../02/10 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सोलपुर के आराजी खसरा नम्बर 125 रकवा 0.40 हेक्टर, 127 रकबा 0.30 हेक्टर किस्म बारानी–3 पर संवत 2066 से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने,फसल नीलामी, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन स्पष्ट हुआ है कि अपीलार्थी ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा की मिसल संख्या 981 / 09 मे पारित आदेश दिनांक 25 / 02 / 10 के विरूद्व पूर्व मे अपील प्रस्तुत की थी जिसपर अदालत हाजा ने अपील संख्या 1004 / 10 दिनांक 24 / 05 / 10 को दर्ज हुई है जिसका निर्णय .../11 को अदालत हाजा द्वारा किया जा चुका है जिसकी प्रमाणित छायाप्रति अदालत हाजा की पत्रावली मे उपलब्ध हैं। अपीलार्थी ने पुनः उसी निर्णय की अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत करदी है जो रेसजुडिकेटा की श्रेणी मे आती है। अतः अपीलार्थी की प्रस्तुत अपील रेसजुडिकेटा की श्रेणी मे आने के कारण रेसजडिकेटा के बिन्दु पर खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 04 / 06 / 15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर